



2026:AHC:12850

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 232 सन् 2026

बच्चन लाल श्रीवास्तव और 3 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : चंद्रकांत, श्रीनाथ

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अर्पित मालवीय, अवधेश कुमार मालवीय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है:

(1) उत्प्रेषण की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(1) के तहत वाद संख्या 9331/2025 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514291009331 (रिपोर्ट लेखपाल जमालपुर देहाती बनाम बच्चन लाल और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए, (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 13)

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत कार्यवाही में विभिन्न राजस्व अधिकारियों द्वारा उप-विभागीय अधिकारी को दिनांक 08.08.2025 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट स्वतः ही अवैध और क्षेत्राधिकारहीन है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

3. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 10 के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार मालवीय द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि प्रतिवादी संख्या 10, राम दास यादव ने इस न्यायालय में रिट याचिका संख्या 33886/2025 दायर की है, जिसमें दिनांक 08.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3/उप-मंडल अधिकारी, सदर, जिला गाजीपुर को मामला संख्या 9331/2025 का शीघ्र और अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान याचिका समय से पहले दायर की गई रिट याचिका है क्योंकि आज तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है, तो याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 की उपधारा (4) के तहत अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38 के तहत उपरोक्त कार्यवाही में प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। यह स्थापित कानून है कि रिट न्यायालय को लंबित कार्यवाही में केवल राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय द्वारा वाद संख्या 9331/2025 का समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है, और आज तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

6. इस स्थिति में, न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है और रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त कार्यवाही में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है, तो याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

19 जनवरी, 2026

सकलैन